CENTRE FOR SCIENCE AND ENVIRONMENT

MAIN OFFICE: 41, Tughlakabad Institutional Area, New Delhi-110 062 INDIA
Tel: +91 (011) 4061 6000, 2995 5124, 2995 6110 **Fax:** +91 (011) 2995 5879 **Email:** cse@cseindia.org **Website:** www.cseindia.org
BRANCH OFFICE: Core 6A, Fourth Floor, India Habitat Centre, Lodhi Road, New Delhi-110 003
Tel: +91 (011) 2464 5334, 2464 5335

LEAVES OF IMPORTANT SURVIVAL TREES IN INDIA — MAHUA, KHEJDI, ALDER, PALMYRA AND OAK

सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, नई दिल्ली
प्रेस विज्ञप्ति: मध्य प्रदेश में डीएमएफ
यह प्रेस विज्ञप्ति www.cseindia.org पर हिंदी में भी उपलब्ध है

मध्य प्रदेश, अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए जिला खनिज फाउंडेशन (डीएमएफ) निधि का 40 प्रतिशत, सड़कों के निर्माण पर खर्च कर रहा है। सीएसई का नवीनतम विश्लेषण।

सीएसई ने डीएमएफ योजना का महत्वपूर्ण 2018 मूल्यांकन जारी किया।
मध्य प्रदेश उन शीर्ष पांच खनन राज्यों में से एक है जिनका गहन मूल्यांकन किया गया।

- रिपोर्ट में 12 खनन राज्यों का विश्लेषण किया गया है। मध्य प्रदेश सहित पांच प्रमुख खनन राज्यों का गहन मूल्यांकन किया गया है।
- पांच जिलों का सर्वेक्षण किया गया है। सिंगरोली का गहन विश्लेषण किया गया है।
- मध्यप्रदेश (एमपी) कुल संचयी संग्रहण – अप्रैल 2018 तक 1,610 करोड़ रुपये है। इसमें से 57 प्रतिशत से अधिक, सर्वाधिक कोयला खनन जिले, सिंगराउली से आता है।
- डीएमएफ के तहत परियोजनाओं के लिए लगभग 580 करोड़ रूपए मंजूर; लगभग 47 प्रतिशत का सबसे बड़ा निवेश सड़कों जैसी भौतिक अवसंरचना के लिए, शिक्षा के लिए केवल 14.5 प्रतिशत। उपयोगरू केवल 39 प्रतिशत।
- राज्य सरकार, डीएमएफ निवेश, निर्देशित करने में प्रमुख भूमिका निभा रही है। राज्य नियमों से राज्य खनिज निधि (एसएमएफ) सृजित किया गया है। एसएमएफ के जरिए कार्यानिवत की जाने वाली परियोजनाओं का निर्णय राज्य वित्त विभाग द्वारा लिया जाएगा।
- राज्य सरकार ने ऐसे क्षेत्रों के लिए निर्देश जारी किए हैं जिन जिलों में डीएमएफ पर निधियां खर्च की जानी चाहिए– उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में पेयजल, स्वास्थ्य और शिक्षा। हालांकि, इसने डीएमएफ निधि का 40 प्रतिशत केवल सड़कों के निर्माण पर खर्च करने के लिए भी कहा है।
- कोई नियोजन नहीं; ग्राम सभाओं से कोई विचार – विमर्श नहीं; जिला डीएमएफ निकाय में सरकारी अधिकारियों और राजनीतिक प्रतिनिधियों का प्रभुत्व है।
- महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य सेवा आदि जैसे मुद्दों की उपेक्षा की गई है।

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 2018: मध्य प्रदेश (एमपी) में डीएमएफ का प्रशासन टॉप–डाउन है और इसमें खनन प्रभावित लोगों का बहुत कम प्रतिनिधित्व है। डीएमएफ निवेश प्राथमिकताओं का निर्धारण बड़े पैमाने पर राज्य सरकार द्वारा किया गया है, और इसलिए, यह उन क्षेत्रों की ओर उन्मुख नहीं हैं जिन्हें वास्तव में हस्तक्षेप की आवश्यकता है (जैसे स्वास्थ्य सेवा) – मध्य प्रदेश में डीएमएफ के लिए सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (सीएसई) द्वारा नवीनतम मूल्यांकन में कहा गया है।

जनता प्रथम: डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन (डीएमएफ) स्थिति रिपोर्ट, 2018– जैसा कि रिपोर्ट की गई है, यह चौथे वर्ष में प्रवेश के समय डीएमएफ का आकलन है। इस रिपोर्ट में देश भर में 12 राज्यों को कवर किया गया है मध्य प्रदेश सहित पांच शीर्ष राज्यों में जिलों में निवेश का गहन अध्ययन किया गया है। यह रिपोर्ट, राज्य और केंद्र

Founder Director
ANIL AGARWAL

EXECUTIVE BOARD

Chairperson
M.S. SWAMINATHAN

Director General
SUNITA NARAIN

Deputy Director General
CHANDRA BHUSHAN

Members
A.K. SHIVA KUMAR
BHARATI CHATURVEDI
G.N. GUPTA
JAGDEEP GUPTA
MAHESH KRISHNAMURTHY
N.C. SAXENA
N.J. Rao
RAJ M.S. LIBERHAN
WILLIAM BISSELL

सरकारों, खनन से प्रभावित जिलों के जिला प्रशासकों के प्रतिनिधियों, गैर सरकारी संगठनों और मीडिया की मौजूदगी में जारी की गई थी।

सीएसई की महानिदेशक, सुनीता नारायण ने रिपोर्ट जारी करते समय कहा, "डीएमएफ, प्राकृतिक संसाधनों के प्रशासन का जन केंद्रिक विजन है, जिसमें लाभ के उनके अधिकार को सर्वप्रमुख रखा गया है। यदि इसे भली–भांति विकसित एवं कार्यान्वित किया जाता है, तो डीएमएफ में मृत्यु के बाद कुछ सबसे गरीब समुदायों के जीवन और आजीविका में सुधार लाने की भारी क्षमता है बल्कि ये समावेशी प्रशासन का मॉडल भी हो सकते हैं।"

डीएमएफ, खान और खनिज (विकास और विनियम) संशोधन अधिनियम, 2015 के अंतर्गत देश के प्रत्येक खनन जिले में, गैर–लाभकारी न्यास के रूप में गठित किए गए हैं। इनका एक संक्षिप्त और विधिक तौर पर स्पष्ट उद्देश्य, जनता और खनन संबंधी कार्यकलापों से प्रभावित क्षेत्रों के हित एवं लाभ के लिए कार्य करना है।

मध्य प्रदेश में अप्रैल 2018 तक डीएमएफ संग्रहण 1,610 करोड़ रुपये है। डीएमएफ संग्रह के मामले में राज्य के शीर्ष जिलों में सिंघरौली (470 करोड़ रुपये), अनूपपुर (225 करोड़ रुपये) और सतना (85 करोड़ रुपये) आते हैं।

सीएसई के उप–महानिदेशक, चन्द्र भूषण ने कहा, ''डीएमएफ, भारत के खनन जिलों में अत्यधिक गरीबी और अभाव में जीवन यापन कर रहे करोडों लोगों के साथ दशकों से हो रहे अन्याय को बदलने का एक निर्णायक अवसर है। लेकिन डीएमएफ से ऐसा केवल तभी हो सकता है यदि इसे खान और खनिज (विकास और विनियम) संशोधन अधिनियम, 2015 के तहत बनाई डीएमएफ नियमावली के अनुसार कार्यान्वित किया जाता है। हमारा आकलन दर्शाता है कि अभी तक मध्य प्रदेश, डीएमएफ को सही तरह से कार्यान्वित करने में विफल रहा है।''

जनता को नियोजना और निर्णय लेने से बाहर रखा गया

मध्य प्रदेश, खनिज निधि (एसएमएफ) नामक समांतर राज्य स्तरीय कॉर्पस सृजित करने वाला एकमात्र राज्य है, जिसका निधियन विभिन्न अनुपात में जिलों में डीएमएफ संग्रहण के जरिए किया जाता है। सिंगरोली जैसे जिले से एसएमएफ के 300 करोड़ रुपये के वार्षिक अनुमानित संग्रहण का 50 प्रतिशत चुकाने की अपेक्षा है। एसएमएफ के उपयोग संबंधी निर्णय, विभिन्न जिलों में निवेश के लिए राज्य सरकार के स्तर पर लिया जाता है, जो विकेंद्रीकृत योजना के सिद्धांत के विपरीत है जिसके लिए डीएमएफ है।

अक्टूबर 2017 में, राज्य सरकार ने जिलों में डीएमएफ का पालन करने के लिए प्राथमिकताएं निर्धारित की। जिसमें डीएमएफ निधियों को चार क्षेत्रों – पेयजल आपूर्ति, स्वास्थ्य, शिक्षा और भौतिक एवं संरचना पर खर्च करने के लिए कहा है। भौतिक अवसंरचना के लिए राज्य सरकार ने राज्य डीएमएस नियमावली में यथा प्रदत्तक श्श्अन्य प्राथमिकता क्षेत्रश्श के लिए अनुमत पूरी 40ः निधि का उपयोग करने के लिए पूछा है।

श्रेष्ठा बनर्जी जी, कार्यक्रम प्रबंधक, पर्यावरण प्रशासन इकाई, विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र ने कहा, "जबकि दिशा–निर्देशों में कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर फोकस नहीं किया गया है, इससे जिला–विशिष्ट आवश्यकता आधारित नियोजन की गुंजाइश समाप्त हो जाती है।" जिला डीएमएफ निकाय में अधिकारियों और राजनीतिक प्रतिनिधियों का प्रभुत्व है। श्श्जनता का प्रतिनिधित्वश्श महज पंचायती राज संस्थान (पीआरआई) के कुछ निर्वाचित सदस्यों के जरिए ही है।

किसी भी राज्य ने इसके राज्य कि नियमावली यह स्पष्ट तौर पर उल्लेख किए जाने के बावजूद कि ग्राम सभा के परामर्श से डीएमएफ के लिए पांच वर्षीय परिप्रेक्ष्य योजनाएं बनाई जाएं और कि लाभार्थी – खनन–प्रभावित लोगों– की पहचान की जाए, लोगों की तत्काल और दीर्घकालिक आवश्यकता का आकलन करते हुए काई व्यापक डीएमएफ योजना नहीं बनाई है। किसी भी जिले ने खनन–प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यकता–आधारित निवेश सुनिश्चित करने के लिए व्यापक डीएमएफ योजना तैयार नहीं की है। अभी तक कार्य मंजूरियां, तदर्थ हैं।

भूषण जी ने कहा, ''मध्य प्रदेश में डीएमएफ के कार्यान्वयन में ग्राम सभा की पूरी तरह से उपेक्षा की गई है। उदाहरण ार्थ, अभी तक डीएमएफ के लिए लाभार्थियों की पहचान नहीं की गई है। लाभार्थियों की पहचान करने में ग्राम सभी की

स्पष्ट भूमिका होती है। इससे कुछ सबसे बुरी तरह प्रभावित लोग– जिन्हें खनन कार्यकलापों की वजह से विस्थापित किया गया है और जिन लोगों का खनन भूमि पर परंपरागत अधिकार है– डीएमएफ के लाभों से छूट गए हैं।''

नियोजन और समन्वयन और सूचना, सार्वजनिक किए जाने का अभाव

श्रेष्ठा जी ने कहा, "इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि राज्य में डीएमएफ नियोजन और समन्वयन कार्यालय के बिना काम कर रहे हैं। एक ऐसे पूर्णकालिक डीएमएफ कार्यालय का होना अत्यधिक जरूरी है जिसमें ऐसे विशेषज्ञ हों जो अंतराल– विश्लेषण कर सकें, ग्राम सभा के साथ विचार– विमर्श कर सकें और जिले के संसाधनों के आधार पर डीएमएफ के निवेशों की योजना बना सकें।"

मध्य प्रदेश ने जिला स्तरीय सूचना प्रस्तुत करने के लिए एक डीएमएफ पोर्टल तैयार किया है। हालांकि, उपलब्ध विवरण, डीएमएफ सदस्यों, संग्रहण और मंजूरियों, निष्पादित परियोजनाओं और कुछ मामलों में, चलाई जा रही खनन परियोजनाओं संबंधी सूचना तक सीमित है। बैठक का कोई भी कार्यवृत्त, डीएमएफ लाभार्थियों की सूची, खनन– प्रभावित क्षेत्रों एवं वार्षिक रिपोर्ट आदि सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध नहीं कराई गई है। राज्य नियमावली और केंद्र की प्रमुख योजना– प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (पीएमकेकेकेवाई)– डीएमएफ के अनुरूप, डीएमएफ संबंधी सभी विवरण सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य है।

निर्माण-प्रेरित निवेश

कुल मिलाकर, विभिन्न जिलों में परियोजनाओं के लिए राज्य में डीएमएफ से 580 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। इनमें से लगभग 47 प्रतिशत मंजूरियां, भौतिक अवसंरचना के लिए हैं और महज 14.5 प्रतिशत शिक्षा के लिए है। जबकि राज्य ने शिक्षा को प्राथमिकता दी है, निवेश का पूरा फोकस निर्माण पर बना हुआ है। उदाहरण के लिए, सिंगरोली में कुल करोड़ रुपये की मंजूरियों में से, लगभग 25 प्रतिशत शिक्षा के लिए है, किंतु इसे मुख्यतरू विद्यालयों के रिनर्माणएवं नवीकरण के लिए निर्देशित कर दिया गया है। स्वास्थ्य सेवा मंजूरियां (कुल मंजूरियों का 17 प्रतिशत) भी निर्माण–उन्मुखी हैं।

श्रेष्ठा जी ने कहा, "निवेश महत्वपूर्ण मुद्दों पर किए गए हैं किंतु यह संसाधन के अंतराल को दूर करने में विफल रहे हैं। जिले में आधे से अधिक प्रारंभिक विद्यालयों में पर्याप्त शिक्षक नहीं है और इसके अलावा, साथ ही, उच्च ड्राप आउट दर, लगभग 22% है। इसी प्रकार, वास्तविक अनुभवों से स्वास्थ्य केंद्रों में स्वास्थ्य कर्मचारियों की कमी का पता चलता है। अतः निवेश को प्रभावी बनाने के लिए इसके साथ संसाधनों का निर्माण किया जाना अति महत्वपूर्ण है।"

उचित नियोजन ना किए जाने की वजह से छूटे हुए महत्वपूर्ण मुद्दे

सबसे खराब महिला और बाल विकास संकेतक होने के बावजूद पोषण संबंधी स्थिति विशेषकर बच्चों के पोषण की स्थिति में सुधार करने के लिए अभी तक कोई निवेश नहीं किया गया है। जिले में ग्रामीण 5 वर्ष से कम मृत्यु– दर (यू5एमआर) 120 है और इसी आयु समूह में लगभग 39 प्रतिशत बच्चों का भार कम है।

पेयजल के लिए नगण्य आवंटन (लगभग 4%) किया गया है, जो अधिकांशतरू हैंडपंपों और ट्यूबवेलों के लिए है। उन्होंने यह भी कहा, "वैज्ञानिक रिपोर्टों में भूजल में क्लोराइड के उच्च स्तर और नाइट्रेट की मात्रा होने का विशेष उल्लेख किया गया है, जिसका इन निवेशों में उपयोग किया जाएगा। जिले में पारे के संदूषण का चिंताजनक स्तर पाए गए हैं।" उन्होंने यह भी कहा, श्पोषण, स्वास्थ्य सेवा और जल ऐसे मूल मुद्दे हैं जिन्हें प्राथमिकता दी जानी चाहिए थी, जिन्हें नियोजन में शामिल किया जाना चाहिए और जिले में अंतराल– विश्लेषण किया जाना चाहिए था।

सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट का आकलन यह दिखाता यह दिखाता है कि मध्य प्रदेश में डीएमएफ को राज्य सरकार द्वारा सामान्य विकास निधि की भांति उपयोग में लाया जा रहा है। श्रेष्ठा जी ने कहा, "एसएमएफ का सृजन यह दर्शाता है कि राज्य, बॉटम–अप आवश्यकता आकलन की अपेक्षा ऐसे उपयोगों के लिए कॉर्पस के तौर पर डीएमएफ रखना चाहता है, जिन्हें यह उचित समझता है।" अभी तक एसएमएफ के जरिए किए गए निवेश, मॉडल विद्यालयों, जल आपूर्ति उपक्रमों के निर्माण, अपशिष्ट जल– शोधन कार्यों, वर्षा जल संचय आदि के इर्द–गिर्द है, जिनमें खनन क्षेत्रों के लिए कोई स्पष्ट प्राथमिकता नहीं है।

सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की सिफारिशें

- डीएमएफ न्यासों की वांछित स्वायत्तता बरकरार रखी जानी चाहिए; राज्य सरकारों को केवल ट्रस्ट के उचित नियोजन के निवेश, संचालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन उपलब्ध कराना चाहिए।
- सभी जिलों को डीएमएफ लाभार्थियों की पहचान करनी चाहिए; ऐसा कोई ट्रस्ट नहीं हो सकता जिसका कोई लाभार्थी न हो। इससे महिला एवं बाल विकास संबंधी मुद्दों का समाधान करने के लिए लक्षित निवेश में भी मदद मिलेगी।
- ग्राम सभाओं (और वार्ड के सदस्यों, जहां लागू हो) का डीएमएफ निकाय में प्रतिनिधित्व होना चाहिए।
- कार्यकलापों की कुशलता के लिए, सभी डीएमएफ के पास कार्यालय होना चाहिए जिसमें अधिकारी और विशेषज्ञ हो। प्रभावी नियोजन के लिए समय–समय पर स्वतंत्र संगठनों/नियोजन विशेषज्ञ को भी शामिल किया जा सकता है।
- डीएमएफ खनन को खनन प्रभावित लोगों एवं क्षेत्रों की तत्काल और दीर्घकालिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए परिप्रेक्ष्य नियोजन करना चाहिए। दीर्घकालिक सुधार सुनिश्चित करने के लिए परिणामोन्मुखी एप्रोच अपनाई जानी चाहिए। इन परिणामों को प्राप्त करने के लिए समय–समय पर यथारू नियोजित माध्यमिक कार्यकलापों की निगरानी की जानी चाहिए।
- निवेश को प्रभावी बनाने के लिए व्यवस्थित एवं नीचे से ऊपर (बॉटम–अप) एप्रोच अपनाई जानी चाहिए। प्राथमिकता वाले मुद्दों का निर्धारण कर लेने पर केंद्रीय और राज्य सरकार के अनय कार्यक्रमों के साथ सम्मिलन पर विचार करके इसकी क्षमता में भी सुधार किया जा सकता है।
- डीएमएफ के कार्यों की पारदर्शिता की कुंजी, सूचना का जनता के सामने प्रकटीकरण है। वेबसाईट के जरिए जिला–विशिष्ट डीएमएफ संबंधी सूचना अवश्य उपलब्ध कराई जानी चाहिए। लोगों की पहुंच भी सुनिश्चित करने के लिए, सूचना को पंचायत स्तरीय मंचों के उपयोग से साझा किया जाना चाहिए।

भूषण जी ने संक्षेप में कहा, चूंकि हम डीएमएफ के कार्यान्वयन के चतुर्थ वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, यह समय हमें नियोजन और कार्यान्वयन संबंधी मुद्दों का समाधान करने का है। बॉटम–अप नियोजन और उपयुक्त संस्थागत संरचना के बिना, डीएमएफ इसे पूरा नहीं कर पाएगा। हमें डीएमएफ को पारदर्शी एवं जवाबदेह बनाने के लिए नियोजन और निगरानी में लाभार्थियों को शामिल करना आवश्यक है। आगामी वर्ष के लिए इसे अपना एजेंडा बनाते हैं।

- **साक्षात्कार और किसी अन्य सहायता के लिए, कृपया सीएसई मीडिया संसाधन केंद्र के पारुल तिवारी से संपर्क करें - parul@cseindia-org/9891838367**

- **कृपया डीएमएफ पर हमारी सभी रिपोर्ट, प्रेस विज्ञप्ति आदि के लिए www-cseindia-org पर जाएं।**